आज़ादी का अमृत महोत्सव

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा/माध्य/संस्था/वरि/के–2/चूरू/2019–20 दिनांकः– 07.04.22

(1)संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
बीकानेर संभाग, बीकानेर।

(2)संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
पाली संभाग, पाली।

विषयः– बीकानेर व पाली संभाग क्षेत्राधिकार में कार्यरत वरिष्ठ अध्यापक व समकक्ष कार्मिकों की वर्षः 2013–14 व पूर्व वर्षों की वरिष्ठता सूचियों में नामांकन/विलोपन/योग्यता अभिवृद्धि/संशोधन प्रकरणों के त्वरित निस्तारण की सुनिश्चितता किये जाने बाबत्।

प्रसंगः– समसंख्यक निर्देश पत्र दिनांक : 17.02.2020।

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंगान्तर्गत लेख है कि शासकीय स्वीकृति क्रमांक : प.22(1) शिक्षा–1/2013–14, जयपुर, दिनांक : 19.08.2013 द्वारा बीकानेर एवं पाली मुख्यालयों पर नवीन मण्डल कार्यालय सृजित किये गये थे। उक्त क्रम में नवगठित मंडल कार्यालयों में वर्षः 2014–15 एवं पश्चात्वर्ती वर्षों में उक्त दोनों मंडलों में सम्मिलित किए गए जिलों में नियुक्त वरिष्ठ अध्यापक एवं समकक्ष पदों पर कार्यरत कार्मिकों के वरिष्ठता संधारण का कार्य नवगठित मंडल कार्यालयों द्वारा ही संधारित किया जा रहा है, परन्तु वर्षः 2014–15 से पूर्व वर्षों में नियुक्त वरिष्ठ अध्यापक एवं समकक्ष कार्मिकों की वरिष्ठता सूचियों का निर्माण पूर्ववर्ती मंडल मुख्यालयों क्रमशः चूरू एवं जोधपुर स्थित मंडल कार्यालयों में होने के कारण वर्तमान में बीकानेर संभाग परिक्षेत्र (बीकानेर, श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ जिले) व पाली संभाग परिक्षेत्र (पाली, जालोर व सिरोही जिले) में कार्यरत वरिष्ठ अध्यापकों के वरिष्ठता सूचियों में नामांकन/विलोपन/योग्यता अभिवृद्धि/संशोधन इत्यादि आवेदनों का निस्तारण/प्रविष्टि का कार्य चूरू एवं जोधपुर संभाग कार्यालयों द्वारा ही किया जाता है। वर्तमान कार्यरत संभाग परिक्षेत्र व वरिष्ठता सूची संधारण हेतु संभाग परिक्षेत्र पृथक–पृथक होने की जटिलता के फलस्वरुप वरिष्ठता सूचियों में प्रविष्टि के लिये आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदनों के समुचित निस्तारण के अभाव एवं अनावश्यक विलम्ब कारित होने के कारण बार–बार रिव्यू डीपीसी की स्थितियां उत्पन्न हो रही है। इस सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों से यह भी परिलक्षित हो रहा है कि वर्षः 2014–15 से पूर्व की वरिष्ठता सूचियों से सम्बन्धित आवेदनों पर पूर्ववर्ती मंडल कार्यालयों (चूरू व पाली) द्वारा भी समुचित रूप से ध्यान नहीं दिया जाकर अनावश्यक लौटाफेरी एवं विलम्ब कारित किया जा रहा है। उक्त सम्बन्ध में बीकानेर एवं पाली मंडल में वरिष्ठता सम्बन्धी आवेदनों/प्रकरणों के त्वरित निस्तारण की सुनिश्चितता हेतु एतद् द्वारा नवीन प्रक्रिया निर्धारित की जाती हैः–

(i) वर्षः 2013–14 में नवगठित बीकानेर व पाली मंडल कार्यालयों के सहज संदर्भ व प्रकरणों के समुचित परीक्षण की सुलभता हेतु संयुक्त निदेशक, चूरू द्वारा संयुक्त निदेशक, बीकानेर व संयुक्त निदेशक, जोधपुर द्वारा संयुक्त निदेशक, पाली को उनके कार्यालयों द्वारा वर्षः 2014–15 से पूर्व प्रसारित समस्त प्रकार की अद्यतन वरिष्ठता सूचियों की स्केन प्रतियां उपलब्ध करवाए जाने की सुनिश्चितता की जाएगी।

(ii) वर्तमान में वरिष्ठ अध्यापकों द्वारा वरिष्ठता सूचियों में नामांकन/विलोपन/योग्यता अभिवृद्धि/संशोधन इत्यादि प्रविष्टियों हेतु किये गये आवेदन को संस्था–प्रधान/कार्यालयाध्यक्ष के अग्रेषण उपरांत सम्बन्धित सीबीईओ द्वारा परीक्षणोपरांत सम्बन्धित संभाग कार्यालय को प्रेषित किया जाता है। उक्तानुसार बीकानेर/पाली संभाग क्षेत्राधिकार में वर्षः 2013–14 एवं इससे पूर्व

पदस्थापित समस्त वरिष्ठ अध्यापक एवं समकक्ष कार्मिकों के आवेदन सम्बन्धित सीबीईओ द्वारा चूरू/जोधपुर संभागीय कार्यालय को प्रेषित किए जाते हैं तथा वर्षः 2014–15 एवं पश्चात्वर्ती वर्षों में नियुक्त वरिष्ठ अध्यापक एवं समकक्ष के आवेदन बीकानेर/पाली संभागीय कार्यालय को प्रेषित किए जाते हैं। उक्त क्रम में संयुक्त निदेशक, बीकानेर एवं पाली कार्यालयों के अधीनस्थ समस्त सीबीईओ गण को तत्काल प्रभाव से पाबंद किया जाता है कि वर्षः 2014–15 से पूर्व वर्षों की वरिष्ठता सूचियों में प्रविष्टि सम्बन्धी प्राप्त आवेदनों में वांछित समस्त सूचनाओं की पूर्ति एवं समुचित परीक्षणोपरान्त प्रकरण चूरू/जोधपुर मंडल कार्यालयों के स्थान पर उनके कार्यालय द्वारा भविष्य में बीकानेर/पाली संभाग कार्यालयों को अग्रेषित किए जाएंगे। संयुक्त निदेशक, बीकानेर एवं पाली द्वारा प्रतिमाह ऐसे समस्त प्रकरणों की स्वयं मॉनिटरिंग करते हुए प्रत्येक माह में प्राप्त होने वाले समस्त प्रकरणों का पूर्ण परीक्षणोपरांत वरिष्ठता सूची में नामांकन/विलोपन/योग्यता अभिवृद्धि/संशोधन अथवा जिस प्रकृति का आवेदन है, उसी अनुरूप स्वीकृति प्रस्ताव संभागीय कार्यालय, चूरू/जोधपुर को प्रेषित किया जाएगा, जिसकी प्रति निदेशालय के वरिष्ठता अनुभाग को पृष्ठांकित की जाएगी।

(iii) संयुक्त निदेशक, बीकानेर/पाली द्वारा उपर्युक्तानुसार प्रेषित प्रस्तावों के चूरू/जोधपुर मंडल कार्यालय द्वारा सम्बन्धित वर्षों की वरिष्ठता सूचियों में प्रविष्टि सम्बन्धी आदेश प्रसारित करवाएं जाने हेतु समुचित पर्यवेक्षण एवं प्रबोधन किया जाकर संयुक्त निदेशक, चूरू/जोधपुर द्वारा तत्सम्बन्धी आदेश प्रसारित करवाये जाने की सुनिश्चितता की जाएगी। संयुक्त निदेशक, चूरू/जोधपुर द्वारा निदेशालय को प्रतिमाह भेजे जाने वाले मासिक प्रतिवेदन में उक्त प्रकार के प्राप्त प्रकरणों एवं निस्तारित प्रकरणों का पृथक से ब्यौरा प्रेषित किया जाएगा। संयुक्त निदेशक, चूरू/जोधपुर कार्यालयों द्वारा उक्त प्रकार से प्राप्त समस्त प्रस्तावों को प्राथमिकता से निस्तारित करते हुए वरिष्ठता सूचियों में प्रविष्टि सम्बन्धी आदेश प्रसारण की सुनिश्चितता की जाएगी एवं उक्त प्रस्तावों में संशोधन की आवश्यकता होने पर तदनुसार बीकानेर/पाली संभाग कार्यालयों से समुचित समन्वय उपरांत नियमानुसार आदेश प्रसारण की कार्यवाही की जाकर प्रति संभागीय कार्यालय बीकानेर/पाली एवं निदेशालय को प्रेषित की जाएगी। संयुक्त निदेशक, चूरू/जोधपुर द्वारा निस्तारण से वंचित प्रकरणों के सम्बन्ध में मासिक प्रतिवेदन में पृथक से कारण अंकित करते हुए आक्षेप पत्र की प्रति सम्बन्धित संयुक्त निदेशक को भिजवाते हुए निदेशालय को भी पृष्ठांकित की जाएगी। ऐसे प्रकरणों, जिनमें अनावश्यक विलंब कारित किया जाना परिलक्षित होगा, के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारी/कार्मिक का दायित्व निर्धारण करते हुए समुचित विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

(iv) संभाग कार्यालय, बीकानेर/पाली द्वारा उपर्युक्त प्रक्रिया द्वारा जारी समस्त आदेशों की प्रविष्टियां चूरू/जोधपुर संभाग कार्यालयों से प्राप्त वरिष्ठता सूचियों में अद्यतन करते हुए निरंतर दर्ज की जाएगी, जिससे कि उक्त वरिष्ठता सूचियों की अद्यतन स्थिति उक्त दोनों कार्यालयों में भी उपलब्ध रहे एवं संभाग कार्यालय में संस्थापन/डीपीसी सम्बन्धी कार्यों/सूचनाओं का त्वरित निस्तारण सुगमता से किया जा सके।

(v) वर्तमान में चूरू संभाग में सम्मिलित सीकर जिला वर्ष 2013 से पूर्व जयपुर मंडल कार्यालय के अधीन होने के कारण वर्षः 2014–15 से पूर्व वर्षों की वरिष्ठता सूचियों का संधारण जयपुर मंडल कार्यालय में होता है। उक्तानुरूप अप्रैल–2014 से पूर्व सीकर जिले में नियुक्त समस्त वरिष्ठ अध्यापक एवं समकक्ष कार्मिकों के वरिष्ठता सूचियों में प्रविष्टि सम्बन्धी कार्य भी जयपुर संभाग कार्यालय में ही संधारित किये जा रहे हैं। उपर्युक्त निर्देशों के अनुरूप ही सीकर जिले में अप्रैल–2014 से पूर्व पदस्थापित समस्त वरिष्ठ अध्यापक एवं समकक्ष कार्मिकों के वरिष्ठता सूचियों में प्रविष्टि सम्बन्धी प्राप्त आवेदन अधीनस्थ सीबीईओ गण द्वारा संभाग कार्यालय, चूरू को प्रेषित

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

किये जाएंगे एवं संभाग कार्यालय, चूरू द्वारा उपर्युक्त वर्णित निर्देशों एवं प्रक्रियानुरूप उक्त आवेदनों के त्वरित निस्तारण हेतु जयपुर संभाग कार्यालय स्तर पर सतत् मॉनिटरिंग कर कार्य निष्पादन करवाया जाएगा। जयपुर संभाग कार्यालय द्वारा उपर्युक्त निर्देशों के क्रम में निदेशालय को प्रतिमाह प्रेषित मासिक विवरण में उक्तानुसार ही सूचना संप्रेषित की जाएगी।

समस्त सम्बन्धितों द्वारा उपर्युक्त निर्देशों की अक्षरशः पालना एवं क्रियान्विति की सुनिश्चितता करते हुए उक्त मंडल परिक्षेत्रों में लम्बित प्रकरणों का चिन्हीकरण करके उनके सुनिश्चित निस्तारण हेतु तत्काल प्रभावी कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी।

(काना राम)
आइ.ए.एस.
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, चूरू/जोधपुर/जयपुर को प्रेषित कर पाबंद किया जाता है कि प्रदत्त निर्देशों की अक्षरशः पालना एवं तदनुसार क्रियान्विति सुनिश्चित की जाए।
4. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, जिला–बीकानेर/श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़/पाली/जालोर/सिरोही/सीकर को निर्देशों की पालना एवं क्रियान्विति सुनिश्चितता हेतु।
5. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

(धर्मेन्द्र कुमार जोशी)
संयुक्त निदेशक(प्रशासन)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते